राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांकः—एफ.5(1)प्रशि. / कमेटी / नार्मस / डीईएस / 2013 / 42815 / 2015 जयपुर, दिनांकः 17-12-15

परिपत्र

राज्य में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों के कौशल उन्नयन तथा क्षमतावर्द्धन हेतु विभिन्न योजनाओं यथा– तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि, सपोर्ट फोर स्टेटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग योजना, जीवनांक, ई–ग्राम परियोजना आदि के अन्तर्गत वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रशिक्षण सत्र के आयोजनों से अनावश्यक धन, श्रम व समय लगता है तथा राजकोष पर अतिरिक्त व्यय भार भी पड़ता है। इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि अब जिला एवं खण्ड स्तर पर समेकित / एकीकृत रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जावे ताकि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी विषयों को सम्मिलित करते हुए गहन रूप से कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था प्रभावी होने से मुख्यालय स्तर से भी विशेषज्ञों की उपस्थिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुनिश्चित की जा सकेगी।

जिला एवं खण्ड स्तर पर समेकित रूप से वर्ष में एक बार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा क्रमशः परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न कर भिजवाई जा रही है। इस प्रशिक्षण की विषय वस्तु में स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सत्र के अनुसार सम्बन्धित कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे तथा अनावश्यक रूप से आगामी सत्रों में कार्मिकों को नहीं रोका जावे, इससे राजकार्य भी सुगमता से चलता रहेगा।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग की ओर से प्रसारित आज्ञा क्रमांक प.1(7)आयो.–1 / सांख्यिकी / 2011 दिनांक 10–7–2013 के अनुसार जिला एवं खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित हैः–

अ. जिला स्तर पर

विवरण	राशि प्रति प्रतिभागी
वर्किंग लंच तथा दो बार चाय–बिस्किुट	200 रूपए प्रतिदिन
अन्य व्यय (फोटोस्टेट, बैनर, हॉल का किराया आदि)	3000 रूपए प्रति प्रशिक्षण
रिसोर्स मैटेरियल व्यय आदि	100.00 रूपए प्रति प्रशिक्षण

ब. खण्ड स्तर पर

विवरण	राशि प्रति प्रतिभागी
वर्किंग लंच तथा दो बार चाय–बिस्किुट	150 रूपए प्रतिदिन
अन्य व्यय (फोटोस्टेट, बैनर, हॉल का किराया आदि)	2000 रूपए प्रति प्रशिक्षण
रिसोर्स मैटेरियल व्यय आदि	50.00 रूपए प्रति प्रशिक्षण

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों के अनुरूप भी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिला एवं खण्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स परसन्स को मानदेय एवं प्रशिक्षण किट यथा– बैग, फोल्डर इत्यादि देय नहीं होंगे। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर राशि 13वें वित्त आयोग के तहत आवंटित बजट मद से तथा खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले इन एकीकृत प्रशिक्षण कार्य{मों पर राशि ई–ग्राम में उपलब्ध बजट मद से व्यय की जावे।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.5(1)प्रशि./कमेटी/नार्मस/डीईएस/2013/42815/2015 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (परिवीक्षण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, आयोजना (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी ——————————————, मुख्यालय।
6. समस्त उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, ——————————————।
7. समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, ——————————————।
8. लेखाधिकारी, मुख्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–1

जिला स्तरीय प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का आयोजन एवं सन्दर्भ व्यक्तिः– जिला उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय

समय	विषय	प्रतिभागियों का विवरण
प्रातः 10:00 से 11:00	मुख्यमंत्री ई–ग्राम परियोजना	ए.डी.एम., सी.ई.ओ., जिला परिषद, एस.डी.ओ., उप/ सहायक निदेशक, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अथवा विकास अधिकारी, सम्बन्धित 12 विभाग यथा– चिकित्सा/आईसीडीएस/ शिक्षा/**पी.एम.ओ./ई.ओ., नगर पालिका**, समस्त जिला एवं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का स्टाफ एवं लेखा कार्मिक
प्रातः 11:00 से 12:30	जीवनांक	ए.डी.एम., सी.ई.ओ., जिला परिषद, उप/सहायक निदेशक, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अथवा विकास अधिकारी, सम्बन्धित विभाग यथा– चिकित्सा, आईसीडीएस, शिक्षा, पी.एम.ओ./ई.ओ., नगर पालिका, समस्त जिला एवं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का स्टाफ एवं लेखा कार्मिक (लगभग 80 व्यक्ति)
मध्यान्ह 12:30 से 1:30	स्थानीय निकायों के लेखे	सी.ई.ओ., जिला परिषद, उप/सहायक निदेशक, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अथवा विकास अधिकारी, ई.ओ., नगर पालिका, समस्त जिला एवं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का स्टाफ एवं लेखा कार्मिक
मध्यान्ह 2:00 से 2:30	कृषि एवं टी.आर.एस.	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अथवा विकास अधिकारी, समस्त जिला एवं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का स्टाफ एवं लेखा कार्मिक
मध्यान्ह 2:30 से 3:00	बिजनिस रजिस्टर एवं एन.एस.एस.	
मध्यान्ह 3:00 से 3:30	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण एवं मूल्य	
सायं 4:00 से 4:30	समन्वय	
सायं 4:30 से 6:00	**कार्यालय व्यवस्था एवं पद्धति** (पत्र प्राप्ति, पत्र प्रेषण, ई–ऑफिस, आई.आर.एच.एम.एस., फाईल डीलिंग, जिले की नियमित मासिक सूचनाएं यथा– मासिक व्यय, सूचना का अधिकार, रिक्त पदों की सूचना, सेवा अभिलेख का संधारण, लेखा अभिलेख प्रक्रिया एवं संधारण, आर.एस.आर., स्टोर, लाइब्रेरी, सी.सी.ए. रूल्स आदि)	

परिशिष्ट–2

खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का आयोजन एवं सन्दर्भ व्यक्तिः– ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अथवा विकास अधिकारी

समय	विषय	प्रतिभागियों का विवरण
प्रातः 10:00 से 12:00	मुख्यमंत्री ई–ग्राम परियोजना	एस.डी.ओ., उप/ सहायक निदेशक, सम्बन्धित 12 विभागों के प्रतिनिधि/ग्राम प्रभारी, **ई.ओ., नगर पालिका**, समस्त ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का स्टाफ एवं लेखा कार्मिक, प्रगति प्रसार अधिकारी • ग्राम सेवक • पटवारी • ए.एन.एम. • आई.सी.डी.एस. विभाग के कार्यकर्ता • शिक्षा विभाग के कार्यकर्ता • एल.एस.पी. व ई–मित्र • पी.एच.सी./सी.एच.सी.
प्रातः 12:00 से 1:30	Vital	उप/ सहायक निदेशक, सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि/**ई.ओ., नगर पालिका**, समस्त ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का स्टाफ एवं **लेखा कार्मिक**, प्रगति प्रसार अधिकारी • ग्राम सेवक • ए.एन.एम. • आई.सी.डी.एस. विभाग के कार्यकर्ता • एल.एस.पी. व ई–मित्र • पी.एच.सी./सी.एच.सी.
मध्यान्ह् 2:30 से 4:00	LBA	उप/ सहायक निदेशक, **ई.ओ., नगर पालिका**, समस्त ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का स्टाफ एवं विकास अधिकारी कार्यालय के **लेखा कार्मिक**, ग्राम सेवक, प्रगति प्रसार अधिकारी